2025/44

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री देवाराम कुम्हार
निवासी नई धनारी पोस्ट धनारी
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 14 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.03.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 18.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वार्ड नम्बर 7 गांव नई धनारी (ग्राम पंचायत धनारी) तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में दिनांक 01.01.2000 से 30.12.2015 तक घरों के खारिज पट्टों का विवरण पूरा नाम, मिसल नम्बर दिनांक सहित एवं पट्टा क्रमांक सहित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 18.02.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वार्ड नम्बर 7 गांव नई धनारी (ग्राम पंचायत धनारी) तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में दिनांक 01.01.2000 से 30.12.2015 तक घरों के खारिज पट्टों का विवरण पूरा नाम, मिसल नम्बर दिनांक सहित एवं पट्टा क्रमांक सहित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा के कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था एवं तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उपरोक्त वर्णित सूचना अपीलांट को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त [illegible]ल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना [illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:55:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner